न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 22/2012/नागौर (2012/00015)

रामुराम पुत्र चन्द्राराम जाति बनबागरिया निवासी सीलनवाद, तहसील लाडनू जिला नागौर।

---**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार।

--**प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
आदेश दिंनाक 3–4–2012

———

उपस्थितः 1– श्री शिवनारायण मीणा, अभिभाषक अपीलार्थी
2–श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 21–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम जारी आर्म्स लाईसेंस नम्बर 7/1982 को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हीं कर क्रय शुदा टोपीदार गन नं0 449 को संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश प्रदान कर दिये जबकि अपीलार्थी समय–समय पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराता आ रहा था। अपीलार्थी का शस्त्र दिनांक 15–12–2000 से 4–10–2007 तक सुजानगढ़ थाने में जमा होने के कारण नवीनीकरण हेतु समय पर आवेदन नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का टोपीदार गन न0 449 आर्म्स लाईसेंस नम्बर 7/1982 नवीनीकरण नहीं कर मात्र न्यायालय से दोष मुक्ति के आधार पर अपीलार्थी उस वस्तु का कब्जा लेने का अधिकारी नहीं हो

जाता तथा जबतक न्यायालय के सक्षम आदेश के अन्तर्गत इस जब्त वस्तु का कब्जा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का प्रश्न निरर्थक होना मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा आदेश दिनांक 3–4–2012 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी ने लाईसेन्स संख्या 7/82 के द्वारा एक टोपीदार बन्दुक संख्या 449 क्रय की थी जिसका जिला कलक्टर, नागौर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र का समय–समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा है। उक्त बन्दुक प्रार्थी के पुत्र से पुलिस थाना सुजानगढ़ ने दिनांक 15–12–2000 को जब्त कर ली। प्रार्थी के पुत्र के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 सुजानगढ़ में मुकदमा नम्बर 623/2001 व अपराध संख्या 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा चला जिसमें निर्णय कर अपीलार्थी के पुत्र को बरी कर दिया जिस करण उक्त बन्दुक का लाईसेन्स का नवीनीकरण वर्ष 2000 से 2007 तक नहीं हो सका। जबकि नवीनीकरण की फीस उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनू के कार्यालय में जमा करा दी गई थी। तत्पश्चात विधानसभा चुनाव 2008 आ जाने से उक्त बन्दुक पुलिस थाना लाडनू में जमा करा दी गई उक्त कारणों से बन्दुक के लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सका। उक्त प्रकरण के निर्णय के बाद अपीलार्थी ने दिनांक 10–4–2008 को लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और चूंकि विधान सभा चुनाव था इसलिए दिनांक 26–11–2008 को लाडनू थाने मे फिर से बन्दुक जमा करा दी थी इसलिए लाईसेंस का नवीनीकरण संभव नहीं हो सका था इसलिए अपीलार्थी तत्समय लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नही कर सका।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा नवीनीकरण के आवेदन को यह कहते हुए गलत तरीके से खारिज कर दिया कि इतने लम्बे विलम्ब का कारण संतोषजनक नहीं था। अतः जिला कलक्टर नागौर के द्वारा लाईसेंस निरस्त की अपील के निर्णय दिनांक 16–6–2010 को तत्कालीन संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा निरस्त कर अपने आदेश दिनांक 22–11–2010 द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर पुनः सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु आदेश दिये थे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनू ने विलम्ब को माफ कर दिया था और दिनांक 22–12–2008 को आवेदक के लाईसेंस को नवीनीकरण करने की सिफारिश भी की थी लेकिन अभी तक जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलार्थी का लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया उसके बावजूद भी दिनांक 3–4–2012 को अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने से इन्कार कर दिया था। जिला

मजिस्टेट, नागौर के आदेश दिनांक 3–4–2012 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा अपीलार्थी के बन्दूक को पुलिस स्टेशन सुजानगढ़ में दिनांक 15–12–2000 से 4–10–2007 तक जमा करया गया था और उसके बाद बन्दूक को 26–11–2008 को लाडनू पुलिस स्टेशन में जमा किया गया था इसलिए अपीलार्थी द्वारा लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सका। चूंकि अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया गया था और विधान सभा चुनाव के बाद अपीलार्थी ने नवीनीकरण के लिए शुल्क जमा कराने के बाद लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था लेकिन जिला मजिस्टेट, नागौर ने आवेदन को मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया था। अपीलार्थीके पास बन्दुक नहीं थी और बन्दूक को पुलिस थाने में जमा किया गया था इसलिए लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सका इसलिए जिला कलक्टर नागौर ने लाईसेंस को गलत तरीके से खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर ने प्रकरण को आदेश दिनांक 22–11–2010 द्वारा जिला मजिस्टेट, नागौर को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिया था कि अपीलार्थी ने लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और उपखण्ड अधिकारी लाडनू ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22–10–2008 में नवीनीकरण हेतु सिफारिश की थी कि विलम्ब को क्षमा करने के साथ कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं था तथा अपीलार्थी द्वारा नवीनीकरण शुल्क भी जमा करा दिया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सुजानगढ़ ने अपीलार्थी के खिलाफ प्रकरण वापस लेते हुए कहा था कि अपीलार्थी से प्राप्त शस्त्र फायर शस्त्र थे या नहीं साबित नहीं हुआ था और इसलिए आवेदक के खिलाफ अपनी कार्यवाही छोड़ दी थी लेकिन जिला मजिस्ट्रेट नागौर ने गलत तरीके से इसका निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने उसी फायर शस्त्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है इसलिए नवीनीकरण आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–2012 अपने आपमे विरोधाभासी होने के कारण निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में ऑपरेटिव हिस्से में गलत तरीके से निष्कर्ष दिया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 4–10–2007 को अपीलार्थी के खिलाफ प्रकरण वापस लेने के दौरान अपीलार्थी को हथियार वापस करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। जिला मजिस्ट्रेट को उक्त हथियार थाने में रखने के योग्य नहीं था और इसलिए शस्त्र लाईसेंस को नवीनीकरण किये जाने योग्य था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर

जिला मजिट्रेट, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–4–2012 निरस्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण पूर्व में तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ने जिस हथियार को फायर आर्म्स माना ही नहीं है उस आदेश की अपील करनी चाहिए। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर से आर्म्स लाईसेंस जब्तशुदा है। उक्त अपील में दो अवसरो की सुविधा अपीलार्थी को अपील में मिल चुकी है। शस्त्र अभियोग संख्या 121/2000 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पुलिस द्वारा दिनांक 15–12–2000 को जब्त कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक 3–4–2012 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 2 सुजानगढ़ जिला चुरू द्वारा प्रकरनण संख्या 623/01 दिनांक 4–10–2007 में उल्लेखित किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में आर्मोरर बतौर साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं हुआ है व एक विशेषज्ञ ही यह बता सकता है कि बरामदशुदा आर्म्स फायर आर्म्स की श्रेणी में आता है अथवा नहीं तथा क्या उक्त बन्दूक से फायर किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आर्मोरर के परीक्षित नहीं होने से आर्मोरर रिपोर्ट को सन्देह से परे साबित नहीं माना जा सकता है तथा अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि बरामदशुदा आर्म्स फायर आर्म्स की श्रेणी में आता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के पुत्र को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषमुक्त तो किया गया है किन्तु को जब्तशुदा वस्तु को प्रार्थी को लौटाने के संबंध में आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मात्र दोष मुक्ति के आधार पर अपीलार्थी टोपीदार गन फायर आर्म्स का कब्जा लेने का अधिकारी नहीं हो सकता है। साथ ही अपीलार्थी का पुत्र आपराधिक प्रवृति का होने के कारण यदि हथियार पास में होने से किसी भी अनहोनी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–2012 जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–4–2012 अपील संख्या 03/2012 बउनवान रामूराम बनाम सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर